न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 59 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रामलाल पुत्र लादूराम जाति सीरवी (खारड़िया) निवासी बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. प्रभुराम पुत्र रावतराम जाति सीरवी निवासी बर्फों की ढीमड़ी वार्ड न. 34 बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–प्रार्थी की ओर से श्री डी.डी.रामावत एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

::निर्णय :: **दिनांक :–** 18/06/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर आई हुई है। जो अप्रार्थी संख्या 1 व गंगादेवी पुत्री देवीदान तथा ओमप्रकाश पुत्र देवीदान व प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का भी 40.96 / 293.09 वां हक हिस्सा है। उक्त भूमि व अन्य भूमि जो बर्फो की कोयटे / ढीमड़ी पर स्थित है तथा इसी बेरे से सिंचित थी, जिसमें से जरिये पंजीबद्ध बैचान पत्र संख्या 756 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 23 सन् 1973 दिनांक 31.08.1973 को प्रार्थी के पिता ने खसरा नम्बर 3125 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा (यानि 0.3317 हैक्टेयर) खरीद की, जिसमें उक्त भूमि के साथ–साथ बैचानकर्ता ने इस बेरे से लगते हुए ओड़ उखडी, सड़ा, सेरिया व बेरे में भी जमीन के हिस्से माफिक बंट का बैचान प्रार्थी के पिता को कर दिया। तत्समय सहवन से सड़ा, सेरिया व बेरे के खसरा नम्बर बैचान पत्र में अलग से दर्ज नही किये गये लेकिन इन सुविधाओं को प्रार्थी के पिता ने आजीवन उपयोग किया तथा प्रार्थी के पिता के देहान्त पश्चात् इस बेरे से खरीद की गयी भूमि खसरा नम्बर 3125 पर प्रार्थी व उसकी माता व उसकी बहनों व भाई का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनके नाम वर्तमान समय में उक्त जमीन दर्ज है। मौके पर रास्ते बाबत् व बेरे व सड़े में प्रार्थी के हिस्से बाबत् एवं कब्जे बाबत् कभी कोई विवाद नही रहा, जिसके चलते इस बाबत् उज्र प्रार्थी की ओर से आज दिन तक नही किया गया। उक्त बेरे की जमीन में खसरा नम्बर 3123 जो ओमप्रकाश के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 3124, 3128 व 3129 कुल तीनो

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरो की 1.4239 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 3125 प्रार्थी व उसकी माता व बहनों व भाई के नाम दर्ज है। तदनुसार पक्षकारान अप्रार्थी सं. 1 का रास्ता, सड़ा व सेरिया में 175.91/293.09 वॉ हिस्सा तथा प्रार्थी व उसके सहखातेदारान का रास्ता, सड़ा व सेरिया में 40.96/293.09 वॉ हिस्सा तथा अन्य सहखातेंदार ओमप्रकाश वगैरा का रास्ता, सड़ा व सेरिया में 76.20/293.09 वॉ हिस्सा है। जिसमें खसरा नम्बर 3126 गै.मु. रास्ता तथा खसरा नम्बर 3127 गै.मु. बेरा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त दोनो खसरे गै.मु. रास्ता व बेरा ओमप्रकाश पुत्र देवीदान, गंगादेवी पुत्री देवीदान व अप्रार्थी सं. 1 प्रभूराम पुत्र रावतराम तीनों के नाम ही दर्ज है। उक्त गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 3126 के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के यहा आवेदन कर नक्शे का नाप करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के यहा टीम गठित करवाकर पेमाईश करवाई, जिन्होने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2014 को तैयार कर अप्रार्थी संख्या 2 के यहा पेश की। जिसमें उन्होने पाया कि आस पड़ौस के खसरों का नाप करने पर मौके पर विवादित रास्ते के रकबे में अन्तर आया तथा राजस्व रेकर्ड और मौके के अन्तर होने के कारण वास्तविक स्थिति का ज्ञान नही हो सका तथा मौके पर सीमा चिन्ह भी लुप्त थे तथा पड़ौसी खसरों में भी जमीन का रकबा कम पाया गया। उक्तानुसार रिपोर्ट पेश की गयी, इसके पश्चात् पुनः प्रार्थी ने विवादित रास्ते का नाप करवाने हेतु दुबारा आवेदन किया, जिस पर दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 के अधीन गठित टीम ने मौके पर नाप कर उसी दिनांक को अपनी मौका रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होने बताया कि नाप हेतु मोमीट्रेस नक्शा जो उपलब्ध करवाया गया उसमें नाप हेतु नक्शा उपयुक्त नही होने का नोट अंकित होने बाबत् कथन किया। जिससे नक्शे माफिक नाप नही किया जा सका। मौके पर उपलब्ध रास्ते का नाप किया गया, तदनुसार उन्होने अपनी रिपोर्ट में रास्ते के दोनो तरफ पुराने पेड़ खड़े हुए पाये तथा रास्ते की भूमि पड़ौसी खसरों से 2 फुट नीची होने के कारण तथा पानी भराव के कारण रास्ता संकडा हुआ पाया। रास्ते की चौड़ाई 2 गट्टा तथा रकबा 0.06 बीघा है तथा शेष भूमि 2 बिस्वा मौके पर खाली पड़ी है जमाबन्दी में इसका रकबा 8 बिस्वा दर्ज है। रास्ता मौके पर खुला पाया। उपरोक्त अनुसार मौके पर विवादित रास्ते खसरा नम्बर 3126 के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 2 के यहा आवेदन करने पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार मौके पर रास्ता खुला पाया तथा रास्ते के दोनो तरफ पुराने पेड़ कायम पाये रास्ते के नाप के सम्बंध में निश्चायक नक्शा उपलब्ध नही होना भी बताया एवं रास्ता मौके पर डूब क्षैत्र में होने से संकड़ा दर्शायमान होना दर्शाया। तदनुसार मौके पर रास्ते के चारों ओर पड़ौसी खातेदारों के खेत है, जिसमें प्रार्थी का खेत भी सुमार है तथा उनके खातेदारी की भूमि जमाबन्दी में दर्शाये रकबे से मौके पर कम है। ऐसा खुलासा अप्रार्थी संख्या 2 की फर्द मौका रिपोर्ट

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
दिग्रोड़ा

से साबित है। उपरोक्त स्थिति अनुसार मौके पर रास्ता व रास्ते के संलग्न खातेदारों की भूमि के रकबे के सम्बंध में एवं मौके पर उपलब्ध भूमि के सम्बंध में विवाद विद्यमान है जिसका निस्तारण निश्चायक रूप से नियमित वाद द्वारा ही संभव है। इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर विवादित रास्ते का स्वयं को एकमात्र खातेदार दर्शा दिया एवं इस बाबत् एक आवेदन संख्या 900/2021 बअनवान प्रभुराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय में दिनांक 26.10.2021 को पेश कर उक्त रास्ते के संबंध में पत्थरगढी किये जाने की प्रार्थना की।

अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर दिनांक 05.07.2023 को पारित आदेश बाद पुनरावलोकन खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय की सरहद में भूमि खसरा नं. 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है, उक्त खसरा अप्रार्थी का खातेदारी का है, उक्त रेकर्डेड रास्ता का उपयोग अप्रार्थी अपने रहवासीय मकान व ढाणी के खसरा नं. 3127 में आने जाने हेतु काम में लेता चला आ रहा है। अप्रार्थी का रेकर्डेड रास्ता खसरा नं. 3126 करीब 4 गटटा है, जो करीब 26 फुट रास्ता है, लेकिन खसरा नं. 3126 के उतरी व दक्षिणी दिशा के पडौसी प्रार्थी रामलाल ने उक्त 26 फुट रास्ता को जमीन के नीचे से खोद दिया एवं उस 26 फुट रास्ता के बजाय मात्र 6 फुट रास्ता कर दिया, जिससे अप्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों का जीवन संकट में डाल दिया एवं उसके रहवासीय मकान व ढाणी में रास्ता को बंद कर दिया तो अप्रार्थी ने सन् 2014 में अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नं. 3126 का पैमाईश करवाने हेतु का आवेदन पेश किया जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर रास्ता की भूमि का नाप इत्यादि कर रास्ता को खुलवाया एवं अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.06.2014 को तैयार कर तहसीलदार बिलाड़ा को प्रति प्रेषित कर दी। लेकिन प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों ने पुनः खसरा नं. 3126 गै.मु. रास्ता को खोद दिया तो पुनः अप्रार्थी ने दिनांक 27.03.2018 को तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष नाप, सीमांकन का आवेदन पत्र पेश किया और निवेदन किया कि रास्ता को कई जगह से खोद दिया है, रास्ता को संकड़ा कर अवरूद्ध पैदा कर दिया है, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने बाद जॉच अपने आदेश दिनांक 27.03.2018 को रास्ते की भूमि की चौड़ाई का नाप करने बाबत् हल्का पटवारी को आदेशित किया, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 09.04.20218 को रास्ता का नाप कर अपनी मौका फर्द रिपोर्ट को तैयार कर तहसीलदार बिलाड़ा को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिप्रेषित कर दी गयी। अप्रार्थी दिनांक 21.10.2021 को अपनी खातेदारी की रास्ता की भूमि खसरा नं. 3126 पर गुजर रहा था तो प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा रास्ता को जमीन के नीचे से खोदना शुरू कर दिया, जिस पर अप्रार्थी ने प्रार्थी को ओलबा दिया और कहा कि रास्ता को क्यों खोद रहे हो, मैं अपनी ढाणी में कैसे जाउंगा, मेरा जीवन संकट में हो जायेगा, फिर भी अप्रार्थी ने अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 8 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन रास्ता सीमांकन, पत्थरगढी कराने हेतु का प्रार्थना पत्र संख्या 900/2021 प्रभुराम बनाम सरकार पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2023 को स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार बिलाड़ा को नाप, सीमांकन, पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित किया गया।

जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने 25.07.2023 को रेकर्डेड अनुसार नाप कर मौके पर रास्ते का सीमाज्ञान कर रास्ता खुलवाने के लिये भू अभिलेख निरीक्षक बिलाड़ा, हल्का पटवारी चक संख्या 3 बिलाड़ा, हल्का पटवारी बिलाड़ा चक संख्या 1 द्वितीय, हल्का पटवारी रणसी गांव की चार सदस्यों की टीम गठित की, जिन्होंने दिनांक 28.12.2023 को मौके पर जाकर रेकर्ड अनुसार रास्ता खसरा सं. 3126 की चौड़ाई का नाप कर सीमाज्ञान करवाकर मुटाम कायम किये गये तथा उसी दिन दिनांक 28.12.2023 को अप्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर सात–आठ पटिट्या को रोपकर तारबंदी कर दी गयी एवं अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 28.12.2023 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 02.01.2024 को रास्ते की भूमि पर स्थगन प्राप्त कर अगले दिन दिनांक 03.01.2024 को रास्ता की भूमि पर किये गये पत्थरगढ़ी के मुटाम व सात आठ फुट की पटिट्या को उखाड़ कर फेंक दी, जिस पर अप्रार्थी ने प्रार्थी को ऐसी नाजायज हरकत करने का ओलबा दिया एवं मुटाम व पट्टिया तोड़ने का विडियो बनाया तथा प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 03.01.2024 को रिपोर्ट को पेश किया। जबकि प्रार्थी को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः रास्ते की भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में कोई केस नहीं बनता हैं। प्रार्थी भूमि खसरा संख्या 3126 गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा सं. 3127 गैर मुमकिन बेरा का कोई खातेदार नहीं हैं, जो मिसल बंदोबस्त से साबित हैं, जबकि अप्रार्थी भूमि खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता का रेकर्डेड खातेदार हैं उसे अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि पर चल रहे रास्ते का आवागमन करने का पूरा हक व अधिकार हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता को खोदना एवं संकड़ा करने के कारण तहसीलदार बिलाड़ा के आदेश की पालना में मौके पर दिनांक 28.12.2023 को भू

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अभिलेख निरीक्षक बिलाड़ा एवं तीनों पटवारियों द्वारा मौके पर जाकर जरीब चलाकर रास्ते की चौड़ाई का नाप कर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को किया जा चुका है। जिसके लिये तहसीलदार सक्षम हैं। जब पत्थरगढ़ी का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य हैं। तहसीलदार द्वारा खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता पर किये गये अतिक्रमण का नाप कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय को धारा 86 राज. भू राजस्व अधि. के अन्तर्गत पुनरावलोकन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं। धारा 111,128 राज. भू राजस्व अधि. के अन्तर्गत अंतिम निर्णय पारित हो जाने के बाद उसकी अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधि. के अन्तर्गत की जा सकती हैं। मौजूदा मामले में खसरा सं. 3126 गै.मु. रास्ता का अंतिम निपटारा किया जा चुका हैं। अतः प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना–पत्र केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं पुनरावृति करते हुये कथन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता हैं कि प्रार्थी भूमि खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा सं. 3127 गैर मुमकिन बेरा का रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं जबकि अप्रार्थी भूमि खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा नम्बर 3127 गैर मुमकिन बेरा का रेकर्डेड खातेदार है। खसरा नम्बर 3126 गैर मुमकिन रास्ता जिस पर आवागमन चलता हैं, उस आवागमन की भूमि का नाप इत्यादि अप्रार्थी ने करवाया हैं, जो मौका फर्द रिपोर्ट से साबित होता हैं। प्रार्थी खसरा सं. 3126 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर चल रहे आवागमन की भूमि को खोद दिया हैं एवं रास्ता को संकड़ा कर दिया हैं, जिसके कारण अप्रार्थी ने अपने रेकर्डेड खातेदारी भूमि का नाप कराया हैं एवं भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को कराया हैं। जो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही दिनांक 28.12.2023 को मौके पर की जा चुकी हैं। जिसका अंतिम निपटारा किया जा चुका हैं। प्रार्थी उक्त निर्णय दिनांक 05.07.2023 से व्यथित हैं, तो प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारा चोही करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके अलावा प्रार्थी ने भूमि खसरा सं. 3126 गै.मु. रास्ता के लिये अप्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बिलाड़ा के समक्ष शाश्वत व्यादेश एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दीवानी वाद संख्या 1/2024 को पेश किया गया है, जो दीवानी वाद

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आज भी विचाराधीन चल रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बिलाड़ा के समक्ष दीवानी वाद विचाराधीन चलते निर्णय दिनांक 05.07.2023 का पुर्नर्विलोकन किया जाना उचित नहीं हैं तथा पुर्नर्विलोकन का क्षेत्र सीमित होता हैं। राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 की धारा का प्रयोग तब किया जा सकता हैं जब किसी भी अधिनियम की किसी भी धारा के अन्तर्गत निर्णय के बाद ये पता चले कि किसी त्रुटि या भूलवश कोई महत्वपूर्ण सुनवाई बाकी रह गई, और रिव्यू में पूर्व के निर्णय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता हैं, जैसा कि State of Raj. v/s L.Rs of Hazoor singh 2014-RRD-261 अनुसार तृतीय पक्ष जो पूर्व में न्यायिक प्रक्रिया में पक्षकार नहीं रहे हैं, को रिव्यू का अधिकार नहीं हैं। यदि वो हितबद्ध पक्षकार है, तो नियमानुसार कार्यवाही करे। नजरसानी अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा